RESEARCH REVIEW JOURNALS
*Volume-1*
*Issue-10*
*October-2016*

**ISSN: 2455-3085 (Online)**
**RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary**
**www.rrjournals.com [Peer Reviewed Journal]**

# नई सदी में भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध का अवलोकन

डॉ0 प्रवीण कुमार सिंह

सहायक प्राध्यापक (अतिथि) शासकीय लरंगसराय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगंज (छ0ग0)

**ARTICLE DETAILS**

**Article History**
*Received:* 03 October 2016
*Accepted:* 08 October 2016
*Published Online:* 10 October 2016

**Keywords**
राजनीतिए भारतीय उपमहाद्वीपए
पाकिस्तानए बांग्लादेशए नए राष्ट्र

**ABSTRACT**

एक ही सोंधी–सोंधी मिट्टी की महक, एक ही इतिहास की विरासत, समान संस्कृति लेकिन सिर्फ राजनीति के द्वारा पैदा की गई एक गहरी दरार जिसने नदी से लेकर मिट्टी तक विभाजित कर दिया, बची रह गई सिर्फ इस त्रासदी की विरासत, कटुता और वैमनस्यता जिसमें अल्पावधि में ही नित्य नए आयाम जुड़ते चले गए। संदर्भ स्पष्ट है– भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन जिससे पाकिस्तान नया मुल्क बना। इतिहास ने अपने आपको दुहराया और पाकिस्तान के पूर्वी खंड से भारत के बाजू में बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र का आर्विभाव हुआ।

## परिचय

जाहिर है द्वि–राष्ट्रवाद का मूल आधार धर्म था। धर्म को अपने आध्यात्मिक और निष्पक्ष भूमिका के कारण तिरष्कृत राजनीति की धूरी बना दिया गया और धर्मभीरू जनता धर्म की राजनीति को ही सर्वस्व मान इस राजनीति का मुहरा बन गई ''राजनीति धर्म'' से ''धर्मिक राजनीतिक'' का विचलन 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण फिसलन था। यह सम्प्रदायवाद एवम् साम्प्रदायिक हिंसा से होते हुए अंततः उपमहाद्वीप के विभाजन तक पहुँच गया। उत्तर–पश्चिमी भारत एवं बंगाल के पूर्वी क्षेत्र का भारत अवैज्ञानिक रूप से 14–15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नया मुल्क बन गया।[1]

तर्क किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, इसकी वस्तुनिष्ठ स्वायत्तता होती है इसलिए यह सब पर समान रूप से लागू होती है।फलतः जो तर्क पाकिस्तान के लिये गढ़ा गया वही उसके खिलाफ भी चला गया। पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जुड़ना अतार्किक और अव्यवहारिक घटना थी। दोनों खंडों के भौगोलिक क्षेत्र कहीं एक दूसरे से नहीं मिलते थे। समानता थी तो सिर्फ दोनों का धर्म एक था। इस कृत्रिम आधार को धरासायी होना ही था। 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एहसास होने लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की राजनीति में छा गए हैं और पूर्वी पाकिस्तान उनके लिये एक उपनिवेश से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं।[2]ऐसी परिस्थिति में उनके हृदय में पनपी धर्मिक समानता की भावना कमजोर पड़ने लगी जिससे वे निजी पहचान और सत्ता के लिए व्यग्र हो उठे। मजबूरन उन्हें इन ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना पड़ा।

सन् 1949 में ''आवामी मुस्लिम लींग'' की स्थापना हसन सोहरावर्दी के नेतृत्व में की गई। दल के जन्मदाता हसन सोहरावर्दी की मृत्यु हो जाने के उपरांत संगठन का पूर्ण उत्तरदायित्व शेख मुजीबुर रहमान के कंधों पर आ गया। शेख मुजीबुर रहमान के सुझाव पर ''आवामी मुस्लिम लीग'' से मुस्लिम शब्द हटा कर ''आवामी लीग'' कर दिया गया जिससे इस दल की सदस्यता सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के नागरिकों के लिए सुलभ हो गया। सन् 1952 में पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने उर्दू को सम्पूर्ण पाकिस्तान की राजभाषा के रूप में थोपने का प्रयास किया, जबकि उर्दू केवल छः प्रतिशत लोगों की मातृभाषा थी परन्तु जनता की उग्र भावनाओं के कारण पाकिस्तान सरकार को बांग्ला को राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। यह बांग्लादेश वासियों के स्वतंत्रता अभियान का प्रथम चरण था। उन्होंने 1954 में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्ता एवं स्वशासन की मांग मतदान के द्वारा शुरू की जिसे ठुकरा दिया गया।[3]

शेख मुजीबुर रहमान और उनके दल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने 20 मार्च 1966 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आवामी लीग ने छः सूत्री कार्यक्रम के दौरान पूर्ण हड़ताल की। जब आंदोलन ने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अयूब सरकार ने 1 जनवरी 1968 को मुजीब को मुक्त करने का निश्चय किया किन्तु जैसे ही उनको जेल से मुक्त किया गया उनकों भारतीय एजेंट बताकर अगरतल्ला संयंत्र में फंसा कर ढ़ाका सैनिक छावनीमें वापस भेज दिया गया। समय के गतिशीलता के साथ पूर्वी पाकिस्तान का जनआंदोलन उग्र रूप धारण करता गया।

भारत की प्रधनमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने 16 नवम्बर 1971 को कहा **कि** शेख मुजीबुर रहमान को मुक्त करके पाकिस्तान सरकार और आवामी लीग के नेताओंके बीच शांतिपूर्ण वार्ता होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

समस्या **का** राजनीतिक समाधान न खोजकर विश्व जनमत को गुमराह करने के उद्देश्य से 3 दिसम्बर 1971 को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया, भारत के लिए अब जरूरी था कि वह बांग्लामुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन करे और अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने जिससे वह राजनीतिक एवं वैधानिक दृष्टि से बांग्लादेश को मान्यता दे सके। भारत ने 6 दिसम्बर 1971 ई को बांग्लादेश को एक नई राष्ट्र के रूप में मान्यता दी।[4] 06 दिन के यद्ध के बाद अंततः जीत भारत की हुई जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया। यह भारत की एक महान कूटनीतिक विजय थी। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भूमिका निभाई अपितु उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का भी प्रभावी प्रयास किया।

5 जनवरी 1972 ई को अब्दुस समद आजाद भारत की यात्रा पर आये। उन्हें विदेश मंत्री के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। उनकी यात्रा का सर्वाधिक दिलचस्प पहलू यह था कि उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर सात समाजवादी देश– सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, मंगोलिया और चेकोस्लोवाकिया उपस्थित थे। अब्दुस समद आजाद को एहसास हो गया कि वैश्विक संदर्भ में उनका राष्ट्र अलग–अलग नहीं है।[5]

शेख मुजीब द्वारा सत्ता ग्रहण करने के उपरांत भारत के साथ बहुतही मधुर सम्बन्ध की शुरूआत हुई। श्रीमति इंदिरा गांधी ने मार्च 1972 में बांग्लादेश का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान कई समझौते किये गए। दोनों देशों के बीच 25 साल की शांति, सहयोग और मित्रता की संधि के अतिरिक्त एक संयुक्त नदी आयोग स्थापित करने का निर्णय हुआ।[6] द–पैट्रिआट ने टिप्पणी की कि यह संधि एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों द्वारा उठाया गया वास्तव में एक अद्वितीय पग है जो इस उपमहाद्वीप में स्थिरता तथा शांति लाएगा। भारत ने 25 मार्च 1972 तक बांग्लादेश से सेना की वापसी का स्वैच्छिक निर्णय लिया था लेकिन पूर्व–निर्धारित समय से पहले ही 13 मार्च 1972 को सेना की वापसी कर पश्चिमी देशों तथा पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे इस दुष्प्रचार को कि भारत बांग्लादेश पर अधिकार करना चाहता था को झुठला दिया गया।[7] बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार 'मॉर्निंग न्यूज' ने भारत के इस कदम की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि किसी देश द्वारा दूसरे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सैन्य सहयोग करने का इतिहास में कतिपय उदाहरण हैं लेकिन किसी देश द्वारा दूसरे देश से इतनी शीघ्र सैन्य वापसी वह भी विजय के बाद इतिहास में उदाहरण शून्य हैं।

बांग्लादेश ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद को राष्ट्र के आदर्शों के रूप में स्थान दिया। जाहिर है कि बांग्लादेश द्वारा इन आदर्शों को अपनाने में भारत की मुख्य प्रेरक भूमिका रही लेकिन इतिहास की अपनी गति होती है, वह अपने तर्कों सेपरिचालित होता है। एक घटनाक्रम में 15 अगस्त 1975 ई को शेख मुजीब की हत्या कर दी गई।[7] पुनः आवामी लीग के सभी अमन पसंद एवं आधुनिक विचारों में अग्रग्रामी सोच रखने वाले सभी प्रथम स्तरीय नेताओं का संहार कर दिया गया। तेजी से बदलते घटनाक्रम में सैन्य तानाशाह जिया–उर–रहमान के हाथ में सत्ता आ गई और इसके साथ ही भारत के साथ बांग्लादेश का संबंध कट्टरता और भारत विरोधी दुष्प्रचार का शिकार हो गया। फिर क्या था ? तमाम विवादित मुद्दे सतह पर आ गए। जिया–उर–रहमान के द्वारा अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के उपरान्त भारत से अच्छे सम्बन्ध बहाल करने की कोशिश भी की गई लेकिन यह ना काफी था।

जिया–उर–रहमान के बाद जनरल इरशाद सत्ता में आये। सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन भारत का विरोध जारी रहा। संविधान से धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्श शब्द को बहिष्कृत कर इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया गया।[8] इरशाद के अंतिम समय में क्षेत्रीय भौगोलिक विवशताओं की वजह से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन के चिन्ह उभरते प्रतीत हुए। जुलाई 1986 में इरशाद ने भारत का दौरा किया तथा भारतीय नेताओं के साथ बहुआयामी बातचीत की। दोनों ही देशों ने सीमा के आर–पार विद्रोह पर नियंत्राण के लिए सहयोग देना स्वीकार किया तथा जल की समस्या को मित्रतापूर्वक सुलझाने का निश्चय किया। बांग्लादेश ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रविष्ट हुए चकमा कबीले के लोगों को वापस बुलाने के लिए सहमति जलाई। उन्होंने आर्थिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी बल दिया। भारत ने बांग्लादेश को यह आश्वासन भी दिया कि वह तीन बीघा का क्षेत्र बांग्लादेश को पट्टे पर हस्तान्तरित कर देगा।

फरवरी 1990 में भारत के तत्कालीन विदेशमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने बांग्लादेश की यात्रा की और अपने ''गुजराल डॉक्ट्रीन'' को मूर्त रूप देने का प्रयास किया।[9] इस यात्रा के दौरान सभी जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ तथा इस बात का संकल्प लिया गया कि इसका समाधन सद्भावना तथा सहयोग की भावना से किया जाएगा। गुजराल की ढ़ाका यात्रा से भारत–बांग्लादेश के मित्रता तथा सहयोग को निश्चित रूप से बल मिला।

कालांतर में बांग्लादेश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और बेगम खालिदा जिया और उसके बाद शेख हसीना की सरकार बनी। यद्यपि कई मामलों में अब भी क्रूरता विद्यमान है फिर भी दोनों देशों के संबंधों में बर्फ पिघलना जारी हो गया है। 10-13 जनवरी 2010 को शेख हसीना ने 123 शिष्टमंडल के साथ भारत की सरकारी यात्रा की। यह यात्रा एक प्रकार से भारत–बांग्लादेश संबंधों में मिल का पत्थर साबित हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वर्ष 2009 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधनमंत्री ने भविष्य

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

में पारस्परिक रूप से सहभागिता के अपने अनुभव के आधार पर विकास के लिए सहयोग का एक व्यापक स्वंय वर्ग तैयार किया। अपराधिक मामलों में कानूनी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा कैदियों की अदला–बदली जैसे महत्वपूर्ण समझौतों के साथ ही उर्जा और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के समझौतों, ज्ञापनों पर भी इसी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा बांग्लादेश को नेपाल और भूटान के सड़क एवं रेल मार्गों से जोड़ने पर भी सहमति बनी और बंदरगाहों के इस्तेमाल पर भी साकारात्मक बातचीत हुई। अगस्त 2010 में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने ढ़ाका यात्रा के दौरान भारत के एक्जिम बैंक और बांग्लादेश सरकार के बीच एक विलयन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह भारत द्वारा किसी देश को दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऋण था।

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश की दो दिवसीय (6–7 सितम्बर, 2011) सरकारी यात्रा की। उनकी यह यात्रा 1999 में तत्कालीन प्रधनमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गयी बांग्लादेश की यात्रा के बाद किसी भारतीय प्रधनमंत्री की पहली यात्रा थी। प्रधनमंत्री की इस यात्रा में विदेश मंत्री के अलावा चार पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा) के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐन वक्त पर तीस्ता नदी के जल बँटवारे में उपजे विवाद की वजह से इस यात्रा से अपने को अलग कर लिया था। डॉ० मनमोहन सिंह ने इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधनमंत्री शेख हसीना के साथ आपसी हितों के मामलों पर बातचीत की तथा 1974 से लटके शेख मुजीब–इंदिरा सीमा समझौते को सम्पन्न कर भूमि सीमांकन के बारे में गैर रेखांकित सीमा क्षेत्रों, बस्तियों (एनक्लेव्ज) और भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मुद्दों से सम्बद्ध ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया महत्वपूर्ण समझौता है। 1974 की संधि से सम्बद्ध प्रोटोकोल के द्वारा अंगारपोटा–दाहग्राम को बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 3 बीघा कोरिडोर में 24 घंटे बेरोकटोक आवाजाही की अनुमति देने की व्यवस्था भी की गयी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपनी धरती से न केवल असम के उल्फा उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर भारत के साथ सुरक्षा मसलों में सहयोग की एकजुटता दिखाई बल्कि भविष्य में उसकी धरती से भारत को अस्थिर करने वाली किसी प्रकार की आतंकवादी या समाज विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का आश्वासन भी भारत को दिया। उक्त समझौतें से एक दूसरे के कब्जे वाले भूखण्डों का मुद्दा भी सुलझ गया है जिसके तहत् बांग्लादेश क्षेत्र के अंदर 17,158 एकड़ में फैले भारत के 111 तथा भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत 7, 110 एकड़ में बांग्लादेश के 51 भूखण्डों (कुल 162 भूखण्डों) का आदान–प्रदान सम्भव होगा। स्मरणीय है कि इन 162 भूखण्डों पर लगभग 51 हजार लोग रह रहे है जिनमें भारत के 37000 और बांग्लादेश के 14000 लोग शामिल हैं। इस प्रकार तीन दशकों से विवाद का कारण बने इन लोगों को किसी भी देश की नागरिकता का लाभ प्राप्त नहीं था परिणामस्वरूप उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अतः इस समझौते से अब उन्हें भी आम नागरिकों के मूल अध्किार प्राप्त हो सकेगें।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किमी लम्बी सीमा रेखा है जिसमें छह किमी का इलाका विवादास्पद है उसे भी अब सुलझा लिया गया है। इस सीमा रेखा में 2.979 किमी भू–सीमा तथा 1,117 किमी नदीय सीमा के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत की इतनी लम्बी सीमा किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ नहीं है।यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम तक फैली है। इससे दोनों देशों की सीमाओं से गैरकानूनी आवाजाही, आतंकवादी एवं उपद्रवी तत्वों की घुसपैठ तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी। इसके अतिरिक्त प्रधनमंत्री ने बांग्लादेश से 61 उत्पादों की तत्काल प्रभाव से भारतीय बाजार में शुल्क–मुक्त पहुँच का एकपक्षीय निर्णय लेकर इस संबंध में एक समझौता भी किया है। इन 61 उत्पादों में 46 प्रकार के उत्पाद सिलेसिलाये वस्त्रों से सम्बद्ध है। यद्यपि बांग्लादेश चाहता है कि भारत उसके 480 वस्तुओं को नाकारात्मक सूची से हटाकर भारतीय बाजारों में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दे। बांग्लादेश की प्रधनमंत्री ने भारत द्वारा दी जा रही सहायता का विस्तृत उल्लेख करते हुए दोनों देशों के समक्ष आंतरिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, अस्थिर विश्व अर्थव्यवस्था, जैसी एक समान चुनौतियों का भी उल्लेख किया और उनके विरूद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच समान प्रजातांत्रिक मूल्यों, सभ्यता और सांस्कृतिक, भाषा, इतिहास, आदर्शों पारस्परिक हितों तथा चुनौतियों का भी जिक्र किया।

## निष्कर्ष

यदि 1971 में आजाद राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और उसके साथ भारत के सम्बन्धों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच सम्बन्ध उतार–चढ़ाव के रहे हैं। 1972 में शेख मुजीब की सरकार बनने से लेकर 2013 तक अवलोकन करें तो लगभग 13 वर्ष ही वहाँ लोकतांत्रिक ढ़ंग से चुनी सरकार का अस्तित्व रहा और शेष 41 वर्ष या तो वहाँ सैन्य शासन रहा या फिर सैन्य शासन की छाँव में वहाँ का शासन चलता रहा। 2009 में शेख हसीना के पुनः सत्ता में लौटने से अब बांग्लादेश की राजनीति में एक सुखद बदलाव देखने को मिला है जिससे भारत के साथ सहयोग के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल हुई है। यद्यपि कई मामलों में अब भी क्रूरता विद्यमान है फिर भी दोनों देशों के सम्बन्धों में बर्फ पिघलना जारी हो गया है।[10] वास्तव में,

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लदेश विश्व की महाशक्तियों के आकर्षन का केन्द्र बना हुआ है। साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तियाँ अपने दूषित महत्वाकांक्षाओं का जाल समस्त दक्षिण एशिया में फैला रहा है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में अशान्ति फैल रही है। यह सही है कि भारत दक्षिण–एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। भारत इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए अपने दायित्वों को पहचान रहा है। अतः वह पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। कुछ अविवादित मुद्दों के साथ दोनों देशों ने नए शताब्दी में प्रवेश किया। बांग्लादेश ने व्यापार–घाटा के मुद्दे को भारत के विरूद्ध जेहाद का रूप दे दिया है। वहीं भारत भी एक तरफा सहयोग के स्थान पर ''रेसिप्रोकल ढ़ाँचे'' में अपनी विदेश नीति को एक उपयोगितावादी रूप देने में लगा है। साथ ही भारत बांग्लादेश में उभरे नए तालिबानी गुटों से अपनी आंतरिक सुरक्षा को खतरे में देख रहा है। विशेषकर जब ये गुट सीधेउत्तर–पूर्व के अलगाववादी गुटों को प्रश्रय और प्रोत्साहन देने में लगा है और बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के लिए टालमटोल कर रहा है।

निःसंदेह प्रधनमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की बांग्लादेश की यात्रा के व्यापक प्रभाव पड़े हैं। यात्रा के दौरान सीमा विवाद का समाधान और व्यापार बढ़ाने की दिशा में किए गए भारत के प्रयास समूचे दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के लिए शुभ संकेत है। इसमें दोराय नहीं है कि एक समृद्ध स्थिर, तथा लोकतांत्रिाक बांग्लादेश ना केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्रों के हितों के लिए अनुकूल है। आज बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंधों की आवश्यकता इसलिए भी है कि क्योंकि उसके पड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान को ही ले ले तो यह कहने में संकोच नहीं होगा कि उसने भारत के हर पहल को संदेह की नजर से देखा है। नेपाल में माओवादियों की सत्ता में संघर्ष बरकरार है तथा नेपाल का चीन के प्रति झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका में भले ही लिट्टे का अंत हो गया है लेकिन तमिलों का पुर्नवास मानवाधिकार मसला तथा सिंहलियों की उग्र राष्ट्रीयता भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अपफगानिस्तान अपने आंतरिक कलह से जूझ रहा है जिस वजह से भारत के साथ उसके संबंध अभी कोई आकार ग्रहण नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के साथ सौहाद्रपूर्ण संबंध निश्चित तौर पर ''गेम चेंजर'' का काम कर सकता है।

कुछ अविवादित मुद्दों के साथ दोनों ने नए शताब्दी में प्रवेश किया। बांग्लादेश ने व्यापार–घाटा के मुद्दे को भारत के विरूद्ध देहाद का रूप दे दिया है। बांग्लादेश की सत्ता अपने कट्टरपन के ढ़ाँचे से बाहर नहीं निकल सकी है और भारत विरोधी अभियान पर ही वहाँ की सत्ता सुरक्षित रखने की घिनौनी कोशिश जारी रही है। बांग्लादेश को इसके लिए अपनी आंतरिक मजबुरियों से बाहर निकलना होगा। उसे स्पष्ट निर्णय लेना होगा कि वह आतंकवाद के सहारे मध्य काल में लौटकर स्वयं के विखंडन और आत्म–विनाश को निमंत्रण देना चाहता है या वैश्वीकरण एवं भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के आलोक में इसके साथ मधुर संबंध विकसित कर एक स्वर्णिम सवेरा की ओर बढ़ कर ''**अमार सोनार बांग्ला**'' को साकार करना चाहता है। भारत को भी अवैध प्रवासियों को एक मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखने की जरूरत है। भूख और बेवसी से मानवीय आव्रजन की कहानी पुरानी नहीं है और आज यह वैश्वीकरण के साथ सुसंगत भी है।

भारत–बांग्लादेश संबंधकेवल भावनात्मक न होकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की मांग है। किन्तु आज दोनों देश मुजीव युग की घनिष्ठता से दूर हट चुके हैं। फिर भी एक दूसरे के प्रति विश्वास अर्जित किया जा सकता है लेकिन यह कार्य तुच्क्षतापूर्ण मित्रता के द्वारा नहीं बल्कि आपसी समझदारी एवं सहयोग से ही सम्भव है। क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना भारत–बांग्लादेश के लिए। दोनों देशों के प्रगति एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे के प्रति साकारात्मक रूप से रूचि लेते रहें, क्योंकि भूगोल ने हमें पड़ोसी बनाया है, इतिहास ने हमें मित्र, अर्थशास्त्र हमें भागीदार बनाता है और हमारी आवश्यकतायें हमें स्थायी मित्र बनने के लिए प्रेरित करती है।

## संदर्भ सूची


1. सुमित सरकार, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन
2. हिरण्यमय कारलेकर, बांग्लादेश नेक्स्ट अफगानिस्तान, दिल्ली–2007, पृ–40
3. बद्रूदीन उमर, द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, आक्सपफोर्ड युनिवसिर्टी प्रेस, कराँची– 2004, पृ– 15–16
4. हिरणमय कारलेकर, बांग्लादेशः नेस्ट अफगानिस्तान, दिल्ली– 2007, पृ–46
5. हिरणमय कारलेकर, बांग्लादेशः नेस्ट अपफगानिस्तान, दिल्ली– 2007, पृ–44
6. बी पी दत्त, इंडियाजफारेन पॉलिसी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली– 1984, पृ०–170
7. श्री राम शर्मा, इंडियनफारेन पालिसी, एन्युल सर्वे– 1972 एवं 1977, पृ०– 195
8. श्री राम शर्मा, इंडियनफारेन पालिसी, एन्युल सर्वे– 1972 एवं 1977, पृ –199
9. हिरणमय कारलेकर, बांग्लादेशः नेकस्ट अफगानिस्तान, दिल्ली– 2007, पृ– 48
10. हिरणमय कारलेकर, बांग्लादेशः नेकस्ट अफगानिस्तान, दिल्ली– 2007, पृ – 48


© RRIJM 2015, All Rights Reserved 